प्रकरण संख्या–12/2018 RCMS ID-2018/00025 तारीख रजु–21.03.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा–करौली जरिये सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन – प्रार्थी

बनाम

1. रामदयाल पुत्र मूला
2. जगदीश पुत्र मूला (फौत)
   - 2/1 विमलेश वेबा जगदीश
   - 2/2 मौनू पुत्र जगदीश (नाबा.)
   - 2/3 सीमा पुत्री जगदीश (नाबा.)
   - 2/4 ज्योति पुत्री जगदीश (नाबा.)

   } जरिये संरक्षक माता विमलेश
3. प्रकाश पुत्र मूला (फौत)
   - 3/1 प्रमिला वेबा प्रकाश
   - 3/2 सचिन पुत्र प्रकाश (नाबा.)
   - 3/3 मोहित पुत्र प्रकाश (नाबा.)

   } जरिये संरक्षक माता प्रमिला
4. रमेश पुत्र मूला (अविवाहित–फौत)
5. गोपाल पुत्र मूला (फौत)

समस्त जातियान ब्राह्मण निवासी अंधपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 103 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 व नियम 99 राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 बाबत् ऋणी सदस्य की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरित करने बाबत्

निर्णय

दिनांक–18.12.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह प्रार्थना पत्र सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन के जरिये हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा करौली ने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा करौली का बकाया अवधिपार ऋण चुकता नहीं करने तथा अप्रार्थीगण की सम्पति/कृषि भूमि जो कि प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन है, को प्रार्थी बैंक द्वारा नीलामी कार्यवाही में बेची नहीं जा सकने के कारण अप्रार्थीगण की सम्पति/कृषि भूमि को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 99 के तहत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा हिण्डौन के नाम अन्तरित करने हेतु आदेश जारी किये जावें।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सिटी ने अपने पत्रांक 328 दिनांक 16.09.2019 से अवगत करवाया है कि अप्रार्थीगण का ऋण खाता राज्य सरकार द्वारा की गई ऋण माफी योजना 2019 के अंतर्गत दायरे में आता है। अंत में उक्त अप्रार्थीगण की कार्यवाही को रोकने का निवेदन किया है।

प्रार्थी संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सिटी

प्रकरण संख्या–12 / 2018 RCMS ID-2018/00025 तारीख रजु–21.03.2018 के अनुसार अप्रार्थीगण का ऋण खाता, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई ऋण माफी योजना के दायरे में आता है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ऋण माफी के पात्र हैं। अतः अप्रार्थीगण से वसूली की कार्यवाही को समाप्त करते हुए प्रार्थी संस्था को प्रार्थना पत्र विदड्रा करने की अनुमति प्रदान करना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी संस्था को प्रार्थना पत्र के विदड्रा की अनुमति प्रदान की जाती है। ऋण वसूली की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.01.01 11:05:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: